



भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति (सेवा सुरक्षणों) और उनके उनके समाजार्थिक विकास के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग के लिए प्रश्नावली

Questionnaire for evaluation and monitoring of implementation of reservation policy (service safeguards) for Scheduled Tribes and schemes for their socio-economic development in Central Ministries/ Departments/ Organisation.

मंत्रालय का नाम _____

Name of the Ministry _____

विभाग का नाम _____

Name of the Department _____

संगठन का नाम _____

Name of the Organisation _____

**1. संगठनात्मक गठन
Organisational Setup**

- (i) कृपया आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन का संगठनात्मक चार्ट प्रस्तुत करें।
Please give the organizational chart of your Ministry/Department/ Organisation.
- (ii) कृपया निम्नलिखित तालिका में आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन की अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सहित समूहवार क्षमता इंगित करें :
Please indicate the Group-wise strength of your Ministry/ Department/ Organisation along with the representation of Scheduled Tribes in the following Tables:

तालिका 1
TABLE 1

(02/07/1997 के अनुसार)
(As on 02/07/1997)

पदों का समूह Group of Posts	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of Sanctioned posts.	मौजूदा कर्मचारियों की कुल सं० Total No. of Employees in position	उनमें में अ. ज.जा. कर्मचारियों की सं० No. of ST Employees among them	कुल कर्मचारियों में से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	टिप्पणियां Remarks
सभी समूह 'क' All Group 'A'					
सबसे निचले स्तर पर समूह 'क' (केवल सीधी भर्ती द्वारा प्रविष्टि) Group 'A' at lowest rung (entry by DR only) @					
सबसे निचले स्तर पर समूह 'क' (पदोन्नति द्वारा भरा जाना) Group 'A' at lowest rung (to filled by promotion)					
समूह 'ख' Group 'B'					
समूह 'ग' Group 'C'					
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'D' (Other than Safai Karamcharies)					
सफाई कर्मचारी Safai Karamcharies					
कूल Total					

@ नोट: निम्नतम स्तर को छोड़कर किसी स्तर पर प्रवेश की स्थिति में ऐसे सभी स्तरों के संबंध में स्थिति इंगित की जानी है।

@ Note: In case induction is at the level, other than lowest rung, position in respect of all such levels to be indicated.

तालिका 2
TABLE 2

(01 / 04 / 2014 के अनुसार)
(As on 01/04/2014)

पदों का समूह Group of Posts	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of Sanctioned posts.	मौजूदा कर्मचारियों की कुल सं० Total No. of Employees in position	उनमें में अ. ज.जा. कर्मचारियों की सं० No. of ST Employees among them	कुल कर्मचारियों में से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	टिप्पणियां Remarks
सभी समूह 'क' All Group 'A'					
सबसे निचले स्तर पर समूह 'क' (केवल सीधी भर्ती द्वारा प्रविष्टि) Group 'A' at lowest rung (entry by DR only) @					
सबसे निचले स्तर पर समूह 'क' (पदोन्नति द्वारा भरा जाना) Group 'A' at lowest rung (to filled by promotion)					
समूह 'ख' Group 'B'					
समूह 'ग' Group 'C'					
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'D' (Other than Safai Karamcharies)					
सफाई कर्मचारी Safai Karamcharies					
कूल Total					

@ नोट: निम्नतम स्तर को छोड़कर किसी स्तर पर प्रवेश की स्थिति में ऐसे सभी स्तरों के संबंध में स्थिति इंगित की जानी है।

@ Note: In case induction is at the level, other than lowest rung, position in respect of all such levels to be indicated.

**तालिका 3
TABLE 3**

(01 / 04 / 2017 के अनुसार)
(As on 01/04/2017)

पदों का समूह Group of Posts	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of Sanctioned posts.	मौजूदा कर्मचारियों की कुल सं० Total No. of Employees in position	उनमें में अ. ज.जा. कर्मचारियों की सं० No. of ST Employees among them	कुल कर्मचारियों में से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	टिप्पणियां Remarks
सभी समूह 'क' All Group 'A'					
सबसे निचले स्तर पर समूह 'क' (केवल सीधी भर्ती द्वारा प्रविष्टि) Group 'A' at lowest rung (entry by DR only) @					
सबसे निचले स्तर पर समूह 'क' (पदोन्नति द्वारा भरा जाना) Group 'A' at lowest rung (to filled by promotion)					
समूह 'ख' Group 'B'					
समूह 'ग' Group 'C'					
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'D' (Other than Safai Karamcharies)					
सफाई कर्मचारी Safai Karamcharies					
कूल Total					

@ नोट: निम्नतम स्तर को छोड़कर किसी स्तर पर प्रवेश की स्थिति में ऐसे सभी स्तरों के संबंध में स्थिति इंगित की जानी है।

@ Note: In case induction is at the level, other than lowest rung, position in respect of all such levels to be indicated.

(iii) कृपया (क) संबद्ध कार्यालयों

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों

(ग) आपके संगठन/विभाग/मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत लोकक्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों की पृथक सूची इंगित करें।

Please indicate separately the List of

(a) Attached Offices

(b) Subordinate Offices

(c) PSUs and Autonomous Organisations under the administrative control of your Organisation/ Department/ Ministry.

- (iv) कृपया ऊपर दी गयी तालिका 1, 2 एवं 3 के अनुसार प्रपत्र में पृथक शीट/शीटों में मंत्रालय/विभाग/संगठन के अधीन प्रत्येक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/लोकक्षेत्र उपक्रम और स्वायत्त संगठनों की समूहवार क्षमता, यदि कोई है तो, इंगित करें।

Please indicate in a separate sheet/ sheets the Group-wise strength of each Attached/ Subordinate Offices/ PSUs and Autonomous Organisations under the Ministry/ Department/ Organisation if any, in the Performa as per **TABLE 1, 2 & 3** given above.

- (v) कृपया निम्नलिखित तालिकाओं में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/लोकक्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों के संबंध में सेवाओं/पदों के बारे में व्यौरा प्रस्तुत करें जिनके संबंध में आपका मंत्रालय/विभाग/संगठन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है।

Please furnish details in the following **Tables** about the Services/ Posts in respect of each Attached/ Subordinate Offices/ PSUs and Autonomous Organisations with respect to which your Ministry/ Department/ Organization is the Cadre Controlling Authority.

तालिका 4

TABLE 4

(a)	सेवा/सेवाओं का नाम Name of the Service(s)	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी का नाम Name of Cadre Controlling Authority	प्रशासनिक मंत्रालय की भूमिका Role of the Administrative Ministry
i)			
ii)			
iii)			
iv)			
v)			

तालिका 5

TABLE 5

(b)	पद/पदों का नाम Name of the post/ posts	पद का वेतनमान Scale of pay of the post.	नियुक्ति प्राधिकारी Appointing Authority
i)			
ii)			
iii)			
iv)			

v)			
vi)			
vii)			

2. मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा नियंत्रित किए जा रहे पदों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की भर्ती एवं प्रतिनिधित्व।
Recruitment and Representation of STs. with reference to posts being controlled by the Ministry/ Department/ Organization

(i) कृपया सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध रियायतों/छूट को इंगित करते हुए सभी ग्रेड/पदों की भर्ती और पदोन्नति नीति पर संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें। भर्ती नियमावली की प्रतियां भी संलग्न करें।
Please give a brief note on the recruitment and promotion policy of all Grade/ posts indicating the available concessions/ relaxations for STs in direct recruitment and promotion. Copies of Recruitment Rules may also be attached.

(ii) कृपया निम्नलिखित तालिका में सीधी भर्ती और पदोन्नति में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पदों के लिए अलग-अलग नीचे (तालिका 6) में दिए गए प्रपत्र में पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्वीकृत पदों की संख्या और रिक्त आरक्षित पदों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें।
Please furnish the information in the following TABLE with respect to sanctioned posts, number reserved for STs and unfilled reserved posts for the last three calendar years in the format given below (TABLE 6) separately for Group 'A', 'B' 'C' & 'D' posts in direct recruitment and promotion.

तालिका 6
TABLE 6

(यदि आवश्यक हो तो पृथक विवरण संलग्न करें)
(Attach separate statement if necessary)

वर्ष Year	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of sanctioned posts	के अधीन प्रतिशतता Percentage under		के अधीन हुई रिक्तियों की सं० No. of vacancies occurred under		के अधीन वास्तव में भरी गई रिक्तियों की सं० No. of vacancies actually filled under		के अधीन अ. ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों की सं० No. of vacancies reserved for STs under		के अधीन नियुक्त अ.ज.जा. उम्मीदवारों की सं० (कोष्ठक में स्वयं की योग्यता पर चयनों की सं० इंगित करें) No. of ST candidates appointed (number of selections on own merit to be indicated in brackets) under		कमी Shortfall		बैकलॉग Backlog	
		सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	समूह 'क' Group 'A'														

	समूह 'ख' Group 'B'																		
	समूह 'ग' Group 'C'																		
	समूह 'घ' Group 'D'																		

DR: Direct Recruitment

Pro: Promotion

- (iii) कृपया यह भी इंगित करें कि क्या बिना भरी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान (अभियानों) के माध्यम से कोई विशेष प्रयास किए गए और डीओपीटी के दिनांक 05.08.2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36028/17/2001-स्थापना(आ.) और दिनांक 04.11.2004 के सं० ए12027/1/2007-स्थापना(पीटी) और दिनांक 19.11.2008 की सं० 36038/1/2008-स्थापना(आ.) में अंतर्विष्ट डीओपीटी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उसके परिणाम तथा इस विषय पर कोई अन्य संसूचना इंगित करें।

Please also indicate whether any special efforts were made to fill up the unfilled reserved vacancies through Special Recruitment Drive(s) and the results thereof taking into consideration DoPT's guidelines contained in DoPT OM No. 36028/17/2001-Estt.(Res.) dated 5.08.2004 and A12027/1/2007-Estt(Pt) dated 4.11.2004 and F.No.36038/1/2008-Estt (Res.) dated 19/11/2008 and any further communication on the subject

3. रोस्टर्स का रख-रखाव Maintenance of Rosters

- (i) क्या पृथक रूप से
(क) सीधी भर्ती
(ख) पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों (जहां आरक्षण प्रयोज्य है) के लिए प्रत्येक पद या पदों के समूह हेतु अलग-अलग रोस्टर रखे जा रहे हैं? कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Whether separate rosters are being maintained for each post or group of posts separately for

- (a) direct recruitment
(b) for posts filled by promotions (where reservation is applicable)?.

Please furnish details.

- (ii) क्या पृथक रूप से
(क) स्थायी नियुक्ति और स्थायी होने के लिए संभावित या अनिश्चितकाल तक जारी रहने वाली अस्थायी नियुक्तियों
(ख) तदर्थ नियुक्तियों और 45 दिनों या अधिक अवधि की विशुद्ध रूप से अस्थायी नियुक्तियों
(ग) बाह्य स्रोतों/संविदाओं के माध्यम से की गई नियुक्तियों के लिए अलग से रोस्टर रखे जा रहे हैं। कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Whether rosters are being maintained separately for

- (a) permanent appointment and temporary appointments likely to become permanently or continue indefinitely
(b) Ad-hoc appointments and purely temporary appointments of 45 days or more duration?.

(c) Appointments made through outsourcing /contracts
Please furnish details.

- (iii) क्या रोस्टर प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो किन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है और यदि नहीं, तो वह समय सीमा जब इसे स्थापित किया जाएगा?

Whether steps have been taken to computerize the roster system? If yes, what difficulties are being faced and if not, the time-frame by which it will be established?

- (iv) क्या प्रत्येक भर्ती वर्ष के अंत में रोस्टर पंजिका में आगे ले जायी गयी/कमी/बैकलॉग/आरक्षित रिक्तियों की अधिकता का सारांश दिया जाता है?

Whether summary of the carry forward/ shortfall/ backlog/ excess of reserved vacancies is given in the roster register at the end of each recruitment year?

- (v) क्या रोस्टरों के रख-रखाव के लिए सीधी भती में पदों के समूहीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है? यदि हां, तो कृपया समूहीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कवर होने वाले उनके वेतनमान के साथ पदों को इंगित करते हुए ब्योरा दें।

Is the procedure of grouping the posts in the direct recruitment adopted for maintaining rosters? If so, please give details indicating the posts with their pay scale covered under the grouping procedure. Also, please indicate the authority who approved the grouping of posts.

4. (a) सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में छूट एवं रियायतें

Relaxations and Concessions in Direct Recruitment and Promotions

- (i) कृपया सीधी भर्ती के मामले में और समूह 'ग', 'ख' और 'क' में तथा समूह 'क' के अंदर पदों पर पदोन्नति देते समय अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध रियायतों के प्रावधान को इंगित करें।

Please indicate the provision of concessions available to STs in the matter of Direct Recruitment and while making promotion to posts in groups 'C', 'B' and 'A' and within Group 'A'.

- (ii) क्या सेवाओं में आरक्षण पर डीओपीटी विवरणिका के अध्याय 9 में निहित अद्यतन निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है? इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Whether up-to-date instructions contained in Chapter 9 of the DoPT brochure on reservation in services is being followed?. A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

(b) वरिष्ठता

Seniority

- (iii) कृपया पूर्व में पदोन्नत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की वरिष्ठता से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16(4ख) के अंतर्गत प्रावधान के कार्यान्वयन, जिसके लिए संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुसरण में डीओपीटी के दिनांक 21.01.2002 के का. ज्ञा. द्वारा निर्देश भी अधिसूचित किए गए हैं, में आ रही कठिनाइयों को, यदि कोई हैं तो, इंगित करें।

Please indicate the problems if any, being faced in implementing the provision under Article 16 (4b) of the Constitution, relating to seniority of ST employees promoted earlier, for which instructions have also been notified vide DoPT O M dated 21.01.2002.in persuasion of the Constitution (85th) Amendment Act, 2001

5. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए मॉनिटरिंग प्रणाली
Monitoring System for implementation of reservation policy

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय और मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठन/लोकक्षेत्र उपक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का उचित रूप से कार्यान्वयन हो, आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा क्या जांच युक्ति अपनायी जाती है?
What are the checks devised by your Ministry/ Department/ Organization to ensure that the reservation policy for STs is implemented properly in the Ministry and the Organisation/ PSUs under the control of the Ministry?.
- (ii) अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है?
What is the procedure prescribed for redressal of grievances of Scheduled Tribes employees?
- (iii) क्या अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने एवं मॉनिटर करने के लिए शिकायत पंजिका रखी जा रही है?
Is a complaint register being maintained in order to register and monitor the grievances of ST employees?
- (iv) क्या कम्प्यूटरीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है या नहीं? यदि नहीं तो इसको स्थापित करने के लिए समय सीमा बताएं।
Whether Computerized Grievance Management System is being implemented or not?, if not, time frame for its establishment.
- (v) क्या संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? यदि हां तो, कृपया इस प्रकोष्ठ की संरचना को इंगित करें।
Has a Scheduled Tribes Cell been set up under the direct control of Liaison Officer? If so, please indicate the composition of this cell.
- (vi) कृपया मुख्यालय में और आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन के नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/लोकक्षेत्र उपक्रमों में मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी का नाम, पदनाम, फोन/फैक्स नम्बर तथा ई-मेल पते इंगित करें।
Please indicate the name, designation, phone/ FAX number and e-mail addresses of the Chief Liaison Officer/ Liaison Officer in the Hq. Office and in the Attached/ Sub-Ordinate Office/ PSUs under the control of your Ministry/ Department/ Organization.
- (vii) क्या आपका मंत्रालय/विभाग/संगठन अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के साथ उनकी समस्याओं एवं शिकायतों का निपटान करने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करता है? कृपया ऐसी बैठकों का ब्यौरा/बारम्बारता प्रस्तुत करें। संघ के साथ अंतिम बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करें।
Does your Ministry/ Department/ Organization hold periodical meetings with Scheduled Tribes employees/ ST Employees Welfare Association to sort out their problems and grievances? Please furnish details/ frequency of such meetings. The minutes of the last meeting with the Association may be enclosed.
- (viii) कृपया तालिका 7 में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के अधिकारों के उल्लंघन एवं उनके साथ भेदभाव के संबंध में प्राप्त एवं निपटायी गयी शिकायतों की संख्या के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करें :
Please furnish details in the following **TABLE 7** about the number of complaints received and disposed in respect of discrimination or violation of rights of ST employee:

तालिका 7
TABLE 7

वर्ष Year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रकृति Nature of complaints received during the year						
		पदोन्नति Promotion	वरिष्ठता Seniority	स्थानान्तरण Transfer	प्रशिक्षण सहित एचआरडी HRD including Training	उत्पीड़न के अन्य प्रकार Other type of harassment	कुल TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014	सं. No.						
	निपटान Disposal						
2015	सं. No.						
	निपटान Disposal						
2016	सं. No.						
	निपटान Disposal						
2017	सं. No.						
	निपटान Disposal						
कुल TOTAL	सं. No.						
	निपटान Disposal						

- (ix) क्या अनुसूचित जनजाति महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का कोई मामला मंत्रालय/विभाग के ध्यान में लाया गया है? यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा और की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Has any case of sexual harassment of ST women employee been brought to the notice of the Ministry/Department? If so, please furnish the details thereof and action taken.

**6. अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण
Dereservation of posts reserved for STs**

- (i) कृपया 2003-04 से पूर्व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के अनुसूचित जातियों के साथ परस्पर अदला-बदली एवं इसके विलोमतः ब्यौरा प्रस्तुत करें।
Please furnish the details of the posts reserved for STs inter-changed with SCs and vice-versa prior to 2003-04.
- (ii) कृपया निम्नलिखित तालिका 8 में पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति एवं सीधी भर्ती में, यदि कोई है तो, विभिन्न पदों के अनारक्षण के लिए अनुमोदन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजे गए प्रस्तावों (मंत्रालय/विभाग/संगठन के नियंत्रण के अधीन समीक्षाधीन) के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करें। यदि आरक्षण का प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया था और पदों को अनारक्षित किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके कारण स्पष्ट करें और प्राधिकारी का ब्यौरा दें जिसने पदों को अनारक्षित किया था।

Please furnish the details in the following **TABLE 8** regarding proposals for dereservation of various posts, (under the Control of the Ministry/ Department/ Organisation under review) in promotion and direct recruitment, if any, sent to the Deptt. of Personnel & Training & the National Commission for Scheduled Tribes for approval during last three years . In case dereservation proposal was not submitted to the National Commission for Scheduled Tribes, and post were dereserved, please explain the reasons thereof and the authority who had de-reserved the posts

तालिका 8
TABLE 8

क्र.सं० S.No.	पद का नाम Name of post	ग्रेड और वेतनमान Grade and Pay Scale	कैलेंडर वर्ष जब अ.ज.जा.रिक्ति उत्पन्न हुई Calendar year when ST vacancy arose	अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों की सं० No. of ST reserved vacancies	क्या डीओपीटी और एनसीएसटी दोनों का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया गया अथवा नहीं Whether specific approval both of DoPT and NCST was received or not	यदि स्तंभ (6) का उत्तर नहीं है तो कृपया अनारक्षण का अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी एवं उसके आधारों को इंगित करें। If answer under Col. (6) is no, please indicate the Authority which approved dereservation and the grounds thereof.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

7. अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया
Selection procedure for appointing ST candidates

- (i) कृपया इंगित करें कि क्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग तारीखों अर्थात् विभिन्न पदों के लिए सामान्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन को छोड़कर अन्य दिनों को लिया जाता है? इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Please indicate whether the Scheduled Tribe candidates are interviewed on separate

dates i.e. other than the days on which the general candidates are interviewed for various posts? A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

- (ii) कृपया इंगित करें कि क्या उन पदों के लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधि शामिल किया जाता है जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए छूट/रियायतें लागू हैं। यदि हां तो कृपया भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों के अन्य सदस्यों की तुलना में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि का स्तर इंगित करें। इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Please indicate whether any representative of Scheduled Tribes is included in various Recruitment Boards/ Selection Committees/ DPCs for the posts wherein reservations/ concessions for Scheduled Tribes are applicable? If, so, the level of ST representative as compared to the other members of the Recruitment Board/ Selection Committees/ DPCs may please be indicated? A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

- (iii) कृपया यह भी इंगित करें कि क्या किसी अवसर पर कार्रवाइयों में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि(यों) का विसम्मति नोट रिकॉर्ड किया गया?

Please also indicate whether at any occasion the ST representative(s) recorded note of dissent in the proceedings?

- (iv) कृपया बताएं कि क्या सीधी भर्ती के लिए विज्ञापनों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित की जाती है? कृपया बताएं कि क्या विज्ञापनों की प्रतियां अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ और संगठनों को भेजी जाती है?

Please state whether the number of posts reserved for ST is clearly indicated in the advertisements for direct recruitment? Please state whether copies of advertisements are sent to Welfare Association and Organisations of Scheduled Tribes?

8. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

HRD and Training

- (i) क्या अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को उनकी कमियों को दूर करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु अतिरिक्त सहयोग/प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रालय/विभाग/संगठन की कोई मानव संसाधन विकास नीति है?

Whether Ministry/ Department/ Organization has any HRD policy to provide extra support/ training to ST employees to enable them to cover up their deficiencies?. The details of such provisions may be spelt out for each category of employee.

- (ii) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक/स्थापना से विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या एवं प्रत्येक वर्ष में उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या बताएं।

Please give the number of employees sent for specialized training abroad during the last three years and the number of Scheduled Tribes employees among them in each year.

9. भर्ती नियमों में संशोधन

Amendment of Recruitment Rules

- डीओपीटी के दिनांक 6 नवम्बर, 2003 के का.ज्ञा. सं० 36012/17/2002-स्थापना(आ.) का पैरा 3क (iv) प्रावधान करता है कि यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों की आरक्षित

रिक्तियां भरी नहीं जा सकती हैं और बैकलॉग रिक्तियों के रूप में आगे ले जायी जाती हैं और अनुवर्ती भर्ती वर्ष में भी रिक्त रहती हैं, उन्हें जब तक उस श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भर नहीं ली जाती जिसके लिए वे आरक्षित हैं पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए बैकलॉग रिक्तियों के रूप में आगे ले जाया जाएगा। इसी प्रकार उसी कार्यालय ज्ञापन का पैरा 4 प्रावधान करता है कि यदि आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं होता है तो उस संवर्ग में जब कभी भर्तियां की जाती हैं, आरक्षण कोटे को पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार, इस कारण से पद आधारित आरक्षण के मामले में आरक्षण ऐसे व्यपगत नहीं होगा कि आरक्षित पदों को वर्षों की एक विनिर्दिष्ट संख्या में भरा नहीं जा सका था। पद आधारित रोस्टर के संबंध में डीओपीटी के अनुदेश, पदोन्नति से सीधी भर्ती और इसके विलोमतः आरक्षित बिन्दु के विनिमय का प्रावधान भी करते हैं यदि भर्ती के खास तरीके से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों। इन निर्देशों के दृष्टिकोण से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के आगमन को सुकर बनाने के लिए विभिन्न पदों के भर्ती नियमों को संशोधित करना आवश्यक हो जाता है। कृपया पद आधारित रोस्टरों को लागू करने के बाद मंत्रालय/विभाग/संगठन के नियंत्रणाधीन विभिन्न पदों के संबंध में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भर्ती नियमों को संशोधित करने हेतु उठाये गये कदमों को इंगित करें।

Para 3 A (iv) of the DoPT OM No. 36012/17/2002-Estt.(Res) dated 6th November, 2003 provides that if vacancies reserved for SCs/STs/OBCs cannot be filled up and are carried forward as backlog vacancies and remain unfilled in the following recruitment year also, they will be carried forward as backlog vacancies for subsequent recruitment year(s) as long as these are not filled by candidates of the category for which these are reserved. Similarly, Para 4 of the same OM stipulates that if reservation quota is not complete, efforts would be made to complete the reservation quota whenever the recruitments are made in the cadre. Thus, reservation would not lapse in case of post based reservation for the reason that reserved posts could not be filled for a specified number of years The DoPT instructions regarding Post Based Roster also provide for exchange of reserved point from promotion to Direct Recruitment and vice-versa, if suitable candidates are not available from a particular mode of recruitment. In view of these directives it becomes necessary to amend the Recruitment Rules of various posts to facilitate induction of ST candidates against vacancies reserved for Scheduled Tribes. Please indicate the steps taken to amend the Recruitment Rules, to meet this objective in respect of various posts under the control of the Ministry/ Department/ Organisation, after induction of the Post Based Rosters.

10. समाजार्थिक विकास Socio-economic development

- (i) कृपया मंत्रालय/विभाग/संगठन की जनजातीय उप योजना के अधीन जनजातीय क्षेत्रों में विकास जैसे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं समाजार्थिक विकास के लिए आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा चलाई जाने वाली प्रत्येक स्कीम/गतिविधि का ब्यौरा दें। क्या यह सूचना क्रमशः आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन और अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोकक्षेत्र उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल की जाती है?

Please give the details of the each scheme/activity undertaken by your Ministry/ Department/ Organization for the welfare and socio-economic development of Scheduled Tribes under the Tribal Sub-Plan of the Ministry/ Department/ Organization like development in tribal areas. Whether this information is also incorporated in the Annual Report of your Ministry/ Department/ Organization and subordinate offices and PSUs respectively ?.

- (ii) कृपया निम्नलिखित **तालिका 9** में पिछले तीन वर्षों के लिए मंत्रालय की जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों के आवंटन एवं व्यय को इंगित करें :

Please indicate the allocation and expenditure of the funds allotted under the Tribal Sub Plan of the Ministry for the last 3 years in the following **TABLE 9**:

तालिका 9
TABLE 9

(रूपए करोड़ में)
(Rs. in Crores)

वर्ष Year	कुल परिव्यय Total Outlay	जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आवंटित राशि Amount allotted under Tribal Sub Plan	के अधीन किया गया व्यय Expenditure incurred under		कुल व्यय में से टीएसपी के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता Percentage of expr. under TSP to total expr.
			कुल योजना Total Plan	जनजातीय उप-योजना Tribal Sub-Plan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

11. विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण विस्थापन

Displacement due to implementation of various projects

- (i) क्या मंत्रालय/विभाग/संगठन की कोई परियोजना है जो अनुसूचित जनजातियों के विस्थापन से संबद्ध है या संबद्ध होनी संभावित है? यदि हां तो, विस्थापित हुए/विस्थापित होने वाले अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की संख्या और उनकी राहत तथा पुनर्वास के लिए स्कीम के साथ उसका व्यौरा प्रस्तुत करें।

Is there any project under the Ministry/ Department/ Organization which has involved or is likely to involve displacement of Scheduled Tribes? If yes, details thereof with the number of ST persons displaced/ to be displaced and scheme for their relief and rehabilitation may be furnished.

- (ii) संकल्पना स्तर पर परियोजनाओं के बारे में भी सूचना प्रस्तुत करें।

Information about the projects at conceptual stage may also be furnished.

12. अन्य संबंधित मुद्दे

Other related issues

- (i) कृपया इस विषय पर कर्मचारी संघ या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों के साथ स्थानान्तरण नीति एवं समझौते के ज्ञापन का एक सेट प्रस्तुत करें।

Please furnish a set of transfer policy and Memorandum of agreement with the Employees Union or SC/ ST Employees Associations on the subject.

- (ii) क्या स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संरक्षण से संबंधित डीओपीटी द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण किया जा रहा है? स्थानान्तरण नीति एवं पिछले चार वर्षों में निपटाए गए मामलों पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें।

Whether instructions issued by DoPT regarding protection to ST employees in the matter of transfer and postings are being followed?. A brief note on the transfer policy and the cases dealt in the last four years may be furnished.

- (iii) कृपया यह भी बताएं कि क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों ने झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आपके संगठन में रोजगार प्राप्त किया है? यदि हां तो कृपया ऐसे मामलों की संख्या, की गई कार्रवाई और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति इंगित करें। कृपया ऐसे मामलों को घटित होने से टालने के लिए उठाये गये कदमों को भी इंगित करें।

Please also state whether instances have come to the notice where persons have obtained employment in your organization on the basis of false caste certificate? If so, please indicate the number of such cases, action taken and present position of each case. Also, please indicate the steps taken to avoid the occurrence of such cases.

- (iv) क्या क्रमशः आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन और अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोकक्षेत्र उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट में आपके संगठन में कोई संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोकक्षेत्र उपक्रमों में भी सेवाओं/पदों में अनुसूचित जनजातियों (उसी तरह अनुसूचित जातियों के भी) के प्रतिनिधित्व से संबंधित एक पृथक अध्याय/अनुच्छेद शामिल किया जा रहा है?

Whether a separate Chapter/ paragraph relating to representation of Scheduled Tribes (as also of Scheduled Castes) in services/posts in your organization and also in the attached and subordinate offices and PSUs is being incorporated in the Annual Report of your Ministry/Department/ Organization and subordinate offices and PSUs respectively?

- (v) कृपया जिन्हें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या इंगित करें जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं।

Please indicate the number of Scheduled Tribes who have been allotted Government accommodation against the total number of employees provided such facilities.
